प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 17.02.2024

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण।**
- **थाना रूरा क्षेत्रान्तर्गत निर्मम हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 01 नफर अभियुक्त को रूरा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना रूरा पर दिनांक 06.11.2022 को मु0अ0सं0 416/2022 धारा 302/201 भादवि0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 17.02.2024 को ग्राम जिनई चौराहा थाना क्षेत्र रूरा से मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त अरूण कुमार दोहरे पुत्र लाला राम दोहरे निवासी ग्राम रसवल रावत गाँव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त अरूण कुमार दोहरे पुत्र लाला राम दोहरे निवासी ग्राम रसवल रावत गाँव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र 48 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मेरी पुत्री रूचि का चाल चलन ठीक नही था कई बार मैने अपनी पुत्री को समझाया था परंतु वह नहीं मानी तो दिनांक 09.10.2022 की रात्रि को मैने अपनी पुत्री के साथ मारपीट की थी तथा गला घोटकर हत्या कर दी। साहब मुझसे गलती हो गयी। मुझे माफ कर दे। यही मेरा बयान है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. अरूण कुमार दोहरे पुत्र लाला राम दोहरे निवासी ग्राम रसवल रावत गाँव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 416/2022 धारा 302/201 भादवि0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना रूरा -

1. प्रभारी निरीक्षक अजय पाठक थाना रूरा जनपद कानपुर देहात
2. का0 666 गौरव कुमार
3. म0का0 1283 रेखा कुमारी